



राज्य महसूल - वहालिया  
न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय भोपाल संभाग भोपाल

निज - 375 - II - 16

प्र.कं...../2015

अजय शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा

कृषक एव निवासी-ग्राम शाहगंज

तहसील शाहगंज जिला सीहोर म.प्र.

..... अपीलार्थी / रिकार्ड

विरुद्ध

द्वारिका प्रसाद आ० श्री रामदयाल जाटव

निवासी-ग्राम खटपुरा तहसील शाहगंज

जिला सीहोर म.प्र.

..... उत्तरवादी

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलकर्ता माननीय अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर द्वारा अपील प्र.कं/69/अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11/09/15 से दुखी होकर निम्न तथ्यों एवं कानूनो आधारों पर यह अपील प्रस्तुत है:-

### प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि - उत्तरवादी ने अनावश्यक रूप से एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिया था कि उसकी अपील ग्रहण की जाये अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त अपील सारहीन होने से निरस्ती योग्य है।
2. यह कि अपीलार्थी का विधिवत राजस्व रिकार्डों में नाम दर्ज है और वह भूमि स्वामी होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। उत्तरवादी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह उपरोक्त विवादित भूमि में पक्षकार है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम धारा 5 पर निर्णय पारित

R- 375-II/16 श्री 612-

(16)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	---------------------	--

18/1/16

आवेदक अभिभावक को प्रथम  
पक्षकारों प्रकलन कायम पर नक  
है।

CF-17/3/16

श्री 612  
HSE

2-6

16/5/16

आवेदक अभिभावक को-एम.एम.  
पक्षकारों को प्रथम पक्षकारों  
प्रकलन कायम पर नक है।

CF-2/6/16

सदस्य

2/6/16

आवेदक अभिभावक को-एम.एम.एम.  
को प्रथम पक्षकारों प्रकलन कायम  
पर नक है।

CF-2/6/16

श्री 612

22/6/16.

आवेदक एवं उनके अभिभावक को  
अभिभावक का प्रकलन करवा दिया गया, परन्तु  
कोई उपाय नहीं। आवेदक एवं उनके  
अभिभावक को अनुपस्थिति के कारण  
प्रकलन अलग पक्षकारों से सम्बंधित किया  
जाना है। प्रकलन उपरोक्त दिनांक ही

श्री 612

M ✓